न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—28/2013/223 (2013/00121)

1. श्रीमती धापू कंवर पुत्री हाथीसिंह, पत्नि सुगनसिंह राजावत, जाति राजूपत, निवासी डूंगरियाकलां, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लादूसिंह पुत्र दशरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी डूंगरियाकलां, उप—तह0 पुष्कर हाल निवासी नया रंगजी का मंदिर, पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. दिलीपसिंह पुत्र दशरथसिंह,
3. श्रीमती सदा कंवर बेवा दशरथसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी डूंगरियाकलां, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती ओम कंवर बेवा लक्ष्मणसिंह (लक्ष्मणसिंह पुत्र दशरथसिंह) जाति राजपूत, निवासी दांतड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती लाली कंवर पत्नि मालसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी गुदली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती भंवर कंवर, पत्नि कानसिंह, जाति राजपूत, निवासी डूंगरियाकलां, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 7.1.2013 अंतर्गत वाद संख्या 83/2009.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पोडेंट संख्या 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—15.1.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इंद्राज तथा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पिता हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 411 हाल 432 रकबा 1 बीघा एवं साबिक खसरा नंबर 412 हाल 432 रकबा 0—19—00 कुल किता 2 कुल रकबा 1—19—00 बीघा ग्राम कड़ेल उप—तहसील पुष्कर में अवस्थित है । वादीया के पिता हाथीसिंह के परिवार में वादिया की माता श्रीमती भंवर कंवर एवं बहनें यथा रसाल कंवर एवं गेंद कंवर फौत हो जाने से वादिया ही हाथीसिंह की एकमात्र वारिस है । विवादित भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में वादिया के पिता हाथीसिंह के नाम दर्ज है, लेकिन भू—प्रबंध विभाग द्वारा

सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान, मुंतकिल किये बिना दौराने बंदोबस्त पूर्व प्रविष्टि को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित करते हुए वर्किंग जमाबंदी में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज दशरथसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज कर दी । तत्पश्चात् दशरथसिंह का स्वर्गवास होने पर विरासती नामांतकरण संख्या 674 दिनांक 5.6.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया, जिन्होंने अन्य आराजियात के साा–साथ विवादित भूमि भी प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 724 दिनांक 26.3.2009 को प्रतिवादी संख्या 5 के नाम स्वीकृत किया गया है । उक्त नामांतकरण संख्या 674 व 724 दोनों ही बंदोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर गैर कानूनी रूप से तस्दीक किये गये है जो वादिया के हक, अधिकार एवं स्वत्वों पर बातिल व बेअसर होकर शून्य प्रभावी है क्योंकि वादीगण आराजियात वादिया के पिता हाथीसिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है । अतः वाद वादिया स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट क `पिता हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में बहैसियत काश्तकार कॉलम संख्या 5 में अंकित है जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 15.6.1958 को अजमेर मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनांक को अपीलांट के पिता हाथीसिंह काबिज काश्त थे जिससे धारा 15 के राज0काश्त0अधि0 के तहत उन्हें विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे एवं तत्कालीन खातेदार मूलसिंह पुत्र भैरूसिंह के काश्तकारी स्वत्वों का अवसान हो चुका था लेकिन अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या के निर्णय में उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर मूलसिंह को खातेदार मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में मूलसिंह पुत्र भैरूसिंह का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है क्योकि उक्त जमाबंदी के प्रभाव में आने के पूर्व ही विवादित भूमि के काश्तकार स्वत्व विधि प्रभाव से अपीलांट के पिता हाथीसिंह में निहित हो चुके थे । बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान व मुंतकिल किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पूर्वज दशरथसिंह का नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया जबकि वर्किंग जमाबंदी में दशरथसिंह के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.8.1980 के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया जाकर दशरथसिंह के नाम अमल दरामद किया जाना कतई सिद्ध नहीं है बल्कि पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर सीधा ही दशरथसिंह का नाम दर्ज किया गया है जो खातेदारी प्राप्त करने की राजस्व विधि के प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 1.8.1980 न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही प्रदर्शित कराया गया है वहीं प्रतिवादीगण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दशरथसिंह को खातेदार दर्ज करना अंकित कर रहे है जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वर्किंग जमाबंदी में नामदर्ज किया गया हो कतई सिद्ध नहीं है। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विक्रय पत्र के आधार पर वर्किंग जमाबंदी में नाम दर्ज होना कयास लगाकर तनकी संख्या 1 का निर्णय किया है जो विधिविरूद्ध है । विवादित भूमि पर पूर्व में अपीलांट के पिता तत्पश्चात् अपीलांट लगातार काबिज काश्त चली आ रही है । मूलसिंह तथा दशरथसिंह का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। बिना कब्जे के पश्चात्वर्ती विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण के मौखिक कथनों के आधार पर उक्त

विक्रय पत्र की पालना में दशरथसिंह का नाम दर्ज होना मान कर तनकी संख्या 3 का निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादिया/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि में आर0आर0डी0 1997 पेज 399, आर0बी0जे0 2019 पेज 1, आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट–3 पेज 1891–बी हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2008 पार्ट–2 पेज 825 के न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात कभी भी वादिया के पिता हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह की खातेदारी की नहीं रही है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह का नाम बतौर साकिनदेह काश्तकार दर्ज है जो उनके द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर दर्ज करवाया गया है । उक्त जमाबंदी में मूलसिंह का नाम बतौर साकिनदेह काश्तकार दर्ज है । बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज का नाम दर्ज किया गया है वह सही है क्योंकि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज दशरसिंह के द्वारा विवादित आराजियात के खातेदार मूलसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.8.1980 को क्रय की थी तथा दशरसिंह की मृत्यु के उपरांत विरासती नामांतकरण संख्या 674 दिनांक 5.6.2007 को तस्दीक किया गया है जिसके द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का नाम जमाबंदी में अमल दरामद किया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 5 को बेचान की गई है जो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं है । विवादित आराजियात पर कभी भी वादिया के पिता का कब्जा काश्त नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया था वह सही है । विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । दौराने बहस मूलसिंह द्वारा दशरथसिंह को विवादित आराजी का बेचान किये जाने का कथन किया तथा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2019 (1) पेज 339 राज0, आर0बी0जे0 2017 पेज 31, आर0आर0टी0 2020 पार्ट–1 पेज 271 के न्यायिक दृष्टांत एवं खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1349 की प्रमाणित प्रतियां एवं विक्रय पत्र दिनांक 13.2.2009 की फोटो प्रति पेश की ।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादिया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादिया के पिता हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 411 हाल खसरा नंबर 432 रकबा 1 बीघा एवं साबिक खसरा नंबर 412 रकबा हाल खसरा नंबर 432 रकबा 0–19–00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1–19–00 बीघा भूमि ग्राम कड़ेल उप–तहसील पुष्कर में स्थित है । विवादित भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में वादिया/अपीलांट के पिता हाथीसिंह के नाम दर्ज है । लेकिन भू–प्रबंध विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचून, मुंतकिल किये बिना दौराने बंदोबस्त प्रविष्टि को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित करते हुए वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज

दशरथसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज कर दी । तत्पश्चात् दशरथसिंह का स्वर्गवास होने पर विरासती नामांतकरण संख्या 674 दिनांक 5.6.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया जिन्होंने अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित भूमि भी प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 724 दिनांक 26.3.2009 को प्रतिवादी संख्या 5 के नाम स्वीकार किया गया है। उक्त नामांतकरण संख्या 674 व 724 दोनों ही बंदोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने वाद कथनों से इंकार कर कथन किया कि विवादित भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह का नाम बतौर साकिन देह काश्तकार दर्ज है जो उनके द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दर्ज करवाया गया है । अतः वाद निरस्त किया जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस विक्रय पत्र दिनांक 12.8.1980 की प्रमाणित प्रति पेश की । जिसके अनुसार मूलसिंह व गुलाबसिंह पुत्रगण भैरूसिंह जाति राजपूत द्वारा अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी खसरा नंबर 412 रकबा 1 बीघा का बेचान दशरथसिंह पुत्र अमरसिंह को बेचान की गई है । खतौनी खतौनी संवत् 1349 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 411 रकबा 1 बीघा खसरा नंबर 412 रकबा 19 बिस्वा के मूलसिंह वल्द भैरूसिंह कौम राजपूत साकिन मालिक दर्ज है। दशरथसिंह पुत्र अमरसिंह की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात विरासती नामांतकरण संख्या 674 दिनांक 5.6.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया जिन्होंने अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित भूमि भी प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दी जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 724 दिनांक 26.3.2009 को प्रतिवादी संख्या 5 के नाम स्वीकार किया गया है। विवादित आराजियात वादिया/अपीलांट के पिता हाथीसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम चौसाला जमाबंदी संव् 2020 से 2023 से पूर्व ओर पश्चात् की चौसाला जमाबंदी में दर्ज होने के संबंध में वादीया/अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इसके विपरीत मूलसिंह पुत्र भैरूसिंह खतौनी जमाबंदी संवत् 1349 में खातेदार मालिक दर्ज है जिनके द्वारा विवादित आराजियात दशरथसिंह पुत्र भैरूसिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान की गई तथा दशरथ की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा रेस्पो0 संख्या 5 को जरिये पंजीकृत बैचान की गई है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार वाद का निर्णय कर वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.1.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 15.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर